भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
आतारांकित प्रश्न संख्या † 2048
दिनांक 11.03.2025 को उत्तरार्थ

संपत्ति कार्ड

†2048 ड़ॉ मल्लू रवि

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों का सर्वेक्षण और गांवों का उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (स्वामित्व) संपत्ति कार्डों के वितरण ने बेहतर ग्रामीण शासन और सशक्तिकरण में योगदान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में राज्यवार विशेषकर तेलंगाना में इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(प्रोफ. एस.पी. सिंह बघेल)

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल, 2020 को स्वामित्व (गांवों का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण) योजना शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण घरेलू मालिक को "अधिकारों का रिकॉर्ड" प्रदान करके ग्रामीण भारत में आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाना है। यह उन्नत ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करके बसे हुए (आबादी) भूमि के सीमांकन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यह योजना एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसमें पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण शामिल हैं।

स्वामित्व योजना महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है, जिसमें संपत्ति के मुद्रीकरण और बैंक ऋण तक पहुंच की सुविधा, संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करनाव्यापकऔर ग्राम-स्तरीय योजना को सक्षम करना।

कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संपत्ति कार्ड प्रदान करके, यह योजना ग्रामीण संपत्ति मालिकों को संस्थागत ऋण तक पहुंचने का अधिकार देती है। 5 मार्च, 2025 तक, 3.20 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और 1.6 लाख गांवों में 2.41 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। हरियाणा, उत्तराखंड, पुडुचेरी, गोवा, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और दमन और दीव और दादरा नगर हवेली में संतृप्ति हासिल की गई है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, लद्दाख,

लक्षद्वीप और दिल्ली में ड्रोन उड़ानें पूरी हो चुकी हैं। तेलंगाना ने केवल 5 गांवों का पायलट सर्वेक्षण पूरा किया है ।

समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने निम्नलिखित उपायों को लागू किया है:-

i. राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और भारत के सर्वेक्षण के लिए मील का पत्थर आधारित लक्ष्य।
ii. हितधारकों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें।
iii.प्रगति ट्रैकिंग के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड (SVAMITVA.nic.in)।
iv. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समर्पित "हैंडहोल्डिंग" सहायता।

विस्तृत कार्यान्वयन स्थिति **अनुबंध** में उपलब्ध है।

———

अनुबंध

भाग(ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक'प्रॉपर्टी कार्ड' के संबंध में 11.03.2025 को उत्तरित लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2048

ड्रोन फ्लाइंग और प्रॉपर्टी कार्ड कवरेज का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र	अधिसूचित गांव	ड्रोन फ्लाइंग	प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए गए (गांव)	तैयार किए गए प्रॉपर्टी कार्ड की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	186	186	141	7,409
आंध्र प्रदेश	13,321	13,321	0	0
अरुणाचल प्रदेश	5,596	3,460	0	0
असम	1,074	946	0	0
छत्तीसगढ़	15,791	15,791	1,202	70,307
दादरा नगर हवेलीऔर दमन दीव	80	80	75	4,397
दिल्ली	31	31	0	0
गोवा	410	410	410	6,72,646
गुजरात	15,052	14,004	7,541	12,67,399
हरियाणा	6,260	6,260	6,260	25,15,646
हिमाचल प्रदेश	15,196	13,882	238	5,395
जम्मू और कश्मीर	4,431	4,400	1,006	39,204
झारखंड	757	240	0	0
कर्नाटक	30,757	18,110	3,881	10,07,529
केरल	1,550	597	0	0
लद्दाख़	230	230	148	15,623
लक्षद्वीपसमूह	10	10	0	0
मध्य प्रदेश	43,014	43,014	33,929	39,94,343
महाराष्ट्र	37,819	37,609	16,103	25,13,737
मणिपुर	2,555	209	0	0
मिजोरम	550	319	27	2,909
ओडिशा	3,054	2,724	43	1,500
पुडुचेरी	96	96	92	2,801
पंजाब	12,083	10,458	178	24,089
राजस्थान	36,352	35,739	13,439	9,39,049
सिक्किम	1	1	0	0
तमिलनाडु	3	3	0	0

तेलंगाना	5	5	0	0
त्रिपुरा	893	19	893	5,71,783
उत्तर प्रदेश	90,573	90,573	67,516	1,01,81,864
उत्तराखंड	7,441	7,441	7,441	2,78,229
कुल	3,45,171	3,20,168	1,60,563	2,41,15,859

****